

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड लोहाघाट

पत्रांक :- 647 /सिखलो/वन भूमि प्रकरण

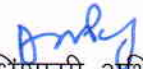
दिनांक:- 25/7/2018।

विषय :- जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक झील के वन भूमि प्रकरण में कमियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी देहरादून।

, उपरोक्त विषय के क्रम में अवगतनीय है कि जनपद चम्पावत में लोहाघाट के समीप लोहवती नदी पर कोलीढेक कृत्रिम झील के वन भूमि प्रकरण का प्रस्ताव सं०-FP/UK/IRRIG/34614/2018 है जिसमें कुछ कमियां इंगित की गई है जिनका निराकरण निम्न प्रकार कर आपकी सेवा अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र०सं०	कमियां	निराकरण
1	The user agency may upload FRA certificate in format prescribed for non linear projects.	FRA क्रमवार ग्रामसभा की समिति, उपजिलाधिकारी की समिति एवं जिलाधिकारी की समिति के आधार पर पुनः अपलोड कर दिये गये हैं।
2	Shape of forest land proposed to be diverted is para A-I (vi) is wrongly filled.	आनलाइन para A-I (vi) को सही कर दिया गया है।
3	Justification is not authenticated by DFO. Please upload Justification at para- D (i) in form A, part I authenticated by DFO.	जस्टीफिकेशन प्रमाण पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत के हस्ताक्षर करवाकर पुनः para- D (i) form A, part I में भर दिया गया है।
4	Provide component wise break up accordingly to layout plan in Form A Part I also upload the layout plan for the project in additional information form A part I.	component wise break up में लेआउट प्लान के अनुसार Part I में अपलोड कर दिया गया है।
5	CA details is not filled at section L in Form A, Part I.	सी०ए० की डिटेल section L Form A, Part I में अपलोड कर दी गयी है।


अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड लोहाघाट